



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2007/कार्तिक 14, 1929

No. 219]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2007/KARTIKA 14, 1929

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 2 नवम्बर, 2007

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) (संशोधन) विनियम, 2007

फा. सं. बी. वि. वि. प्रा./विनियम/4/41/2007.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 और 114 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्न लिखित विनियम बनाता है. अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) (विनियम, 2007) है।
(2) ये प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 में -
 - विनियमन 18 के उपविनियमन (1) का स्थानापन्न से होगा।
(1) सभी आवेदनकर्ता अनुज्ञप्ति पत्र का आवेदन करते समय अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अनुसार शुल्क अदा करेंगे।
2. विनियमन 18 में उपविनियमन (1) के बाद निम्नलिखित का अंतर्वेश किया गया है।
(1 अ) सभी बीमा दलाल वार्षिक शुल्क अदा इस प्रकार तथा इस अवधि के लिए अदा करेंगे जैसा कि अनुसूची II में विनिर्दिष्ट किया गया है। वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त, सभी बीमा दलाल अनुज्ञप्ति पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करते समय ऐसी नवीकरण शुल्क तथा इस प्रकार देगे जैसा कि अनुसूची II में दिया गया है।
- विनियमन 18 के उपविनियमन (2) शब्द "सह विनियमन (1)" को "सह विनियमन (1 अ)" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. नई अनुसूची II के लिए प्रतिस्थापन :

पूर्ववर्ती अनुसूची II के लिए अधोलिखित अनुसूची II का प्रतिस्थापन होगा।

अनुसूची II

बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल)

विनियमन, 2002

[देखें विनियम 18]

शुल्क

1(अ) सभी बीमा दलाल अनुज्ञप्ति पत्र के लिए आवेदन करते समय गैर धन वापसी शुल्क, निम्नानुसार अदा करेंगे

बीमा दलाल का वर्ग	देय आवेदन शुल्क (रूपये)
प्रत्यक्ष दलाल	20,000/-
पुनर्बीमा दलाल	25,000/-
संयुक्त दलाल	40,000/-

2. सभी बीमा दलाल वार्षिक शुल्क निम्नानुसार अदा करेंगे।

बीमा दलाल का वर्ग	देय आवेदन शुल्क (रूपये)
प्रत्यक्ष दलाल	पछले वित्तीय वर्ष में उपाजित किये गये मेहनताने के 0.50 प्रतिशत की गणना कि जायेगी जो न्यूनतम रूपये 25,000/- तथा अधिकतम रूपये 1,00,000/- होगा।
पुनर्बीमा दलाल	पछले वित्तीय वर्ष में उपाजित किये गये मेहनताने के 0.50 प्रतिशत की गणना कि जायेगी जो न्यूनतम रूपये 75,000/- तथा अधिकतम रूपये 3,00,000/- होगा।
संयुक्त दलाल	पछले वित्तीय वर्ष में उपाजित किये गये मेहनताने के 0.50 प्रतिशत की गणना कि जायेगी जो न्यूनतम रूपये 125,000/- तथा अधिकतम रूपये 5,00,000/- होगा।

पछले वित्तीय वर्ष में उपाजित किये गये मेहनताने के 0.50 प्रतिशत की गणना कि जायेगी जो न्यूनतम रूपये 25,000/- तथा अधिकतम रूपये 1,00,000/- होगा।

3. अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान बीमा दलाल के वार्षिक लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देने की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अथवा 30 सितंबर तक जो भी पहले हो कर करना होगा।

4. सभी बीमा दलाल नवीकरण शुल्क रूपये 1000/- (मात्र एक हजार रूपये) का भुगतान नवीकरण आवेदन पत्र के साथ करेंगे।

5. शुल्क का भुगतान खाते में देय ड्राफ्ट द्वारा " बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" के पक्ष में हैदराबाद में देय होगा।

सी. एस. राव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/असाधारण/161/07]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 2nd November, 2007

Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) (Amendment) Regulations, 2007

F. No. IRDA/Reg/4/41/2007.—In exercise of the powers conferred by section 42 and section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) (Amendment) Regulations, 2007.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002 –
 1. Sub-regulation (1) of Regulation 18 shall be substituted by –
(1) Every applicant shall at the time of making an application for grant of licence pay such fees and in such manner as specified in Schedule II.
 2. In Regulation 18 after Sub Regulation (1) the following shall be inserted:
(1A) Every insurance broker shall pay the annual fees in such manner and within such a period as specified in Schedule II. In addition to the annual fees, every broker shall at the time of making an application for renewal of license pay such renewal fees and in such manner as specified in Schedule II.
3. In sub-regulation (2) of Regulation 18 the words "sub-regulation (1)" shall be substituted by the words "sub-regulation (1A)".
4. **Substitution of new schedule for schedule II:**
For existing Schedule II, the following schedule II shall be substituted namely :-
"Schedule II

Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002
[see Regulation 18]

FEES

1(a) Every insurance broker shall at the time of application for license, pay a non-refundable application fees as set out below:

Category of insurance broker	Amount of application fee payable (Rs.)
Direct broker	20,000
Reinsurance broker	25,000
Composite broker	40,000

2. Every insurance broker shall pay annual licence fees as set out below:

Category of insurance broker	Amount of licence fee payable per annum
Direct broker	A sum calculated at the rate of 0.50 per cent of remuneration earned in the preceding financial year subject to minimum of Rs.25,000 and maximum of Rs.1,00,000.
Reinsurance broker	A sum calculated at the rate of 0.50 per cent of remuneration earned in the preceding financial year subject to minimum of Rs.75,000 and maximum of Rs.3,00,000.
Composite broker	A sum calculated at the rate of 0.50 per cent of remuneration earned in the preceding financial year subject to minimum of Rs.1,25,000 and maximum of Rs.5,00,000.

3. The licence fee shall be paid before the expiry of 15 days from the finalization of annual audited accounts of the broker or till the 30th of September whichever is earlier.
4. Every Broker shall pay a renewal fee of Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) along with application for renewal of the licence.
5. The fees shall be payable by an Account Payee draft in favour of "The Insurance Regulatory and Development Authority" payable at Hyderabad."

C. S. RAO, Chairman
[ADVT. III/IV/Exty/161/07]